मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./7120/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/10 भोपाल, दिनांक 12/07/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिला
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः श्योपुर जिले में हुई उल्लेखनीय प्रगति के लिए किए गए प्रयास के संबंध में।

कृपया श्योपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के तहत उल्लेखनीय प्रगति के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में श्योपुर जिले की संलग्न संक्षिप्त नोट का अवलोकन करने का कष्ट करें। उनका यह प्रयोग न सिर्फ सराहनीय है, वरन् अनुकरणीय भी है।

अतः आप अपने जिले में कुछ ऐसा कार्य करें जो प्रदेश के लिए उपलब्धि हो एवं योजना के क्रियान्वयन में बड़ी सफलता अर्जित करें। आपके प्रयास मध्यप्रदेश को अग्रणी करने में सार्थक सिद्ध होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

एवं अन्य संबंधित लोगों की उपस्थित सुनिश्चित की गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि MNREGS के प्रति लोगों में जागृति आयी, सही हितग्राहियों का चयन हुआ, सही कार्यों का चयन हुआ, श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और लेबर बजट के अनुरुप शीघ्र ही कार्यों की स्वीकृतियां दी जाकर कार्य प्रारंभ हुये।

3. जाबकार्डधारियों के खाते खुलवाना –

जिले में जाबकार्डधारियों की संख्या 109042 है एवं वर्ष के प्रारंभ में केवल 32061 खाते खुले हुये थे। इस प्रकार बहुत कम जाबकार्डधारियों के खाते बैंकों में खुले थे। वर्तमान में MNREGS में मजदूरी का भुगतान हितग्राहियों को बैंक खाते के माध्यम से होता है ऐसी स्थिति में MNREGS में प्रगति के लिये आवश्यक था कि जाबकार्डधारी हितग्राहियों के खाते खोले जायें इसके लिये जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर बैंकों के पदाधिकारियों की बैठक ली जाकर जाबकार्डधारियों के खाते खोलने का अभियान चलाया गया और प्रत्येक ग्राम पंचायत के जाबकार्डधारियों की संख्या ओर उनमें से खोले गये खातों की संख्या की पंचायतवार सतत समीक्षा की गयी। जहां आवश्यक हुआ वहां खाता खोलने के लिये कैम्प लगाये गये परिणाम यह हुआ कि जिले में जाबकार्डधारियों के खातों की संख्या 32061 से बढ़कर 63965 हो गयी।

4. ग्राम पंचायतों के खातों का युक्तियुक्तकरण –

जिले में समीक्षा के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि किसी ग्राम पंचायत विशेष के जाबकार्डधारियों के खाते जिस बैंक में है, उस बैंक में ग्राम पंचायत का MNREGS का खाता नही है ऐसी स्थिति में मजदूरी के भुगतान के समय ग्राम पंचायत से चैक जारी करने और चैक समाशोधन उपरांत हितग्राहियों के खातों में राशि जमा होने में बिलंब होता था। इस समस्या के निराकरण के लिये ग्राम पंचायतों के खातों का युक्तियुक्तकरण किया गया और जिस ग्राम पंचायत के अधिकांश जाबकार्डधारियों के खाते जिस बैंक में थे उसी बैंक में ग्राम पंचायतों का MNREGS का खाता खुलवाया गया।

MNREGS में प्रगति के लिये किये गये प्रयास

1. लेबर बजट के अनुरुप कार्यों की स्वीकृतियां--

श्योपुर जिले में 01.04.2009 की स्थिति में 3496 कार्य प्रगतिरत थे जिनकी कुल लागत 30.93 करोड़ थी। इस तरह वर्ष के प्रारंभ में बहुत कम कार्य स्वीकृत थे। इस प्रकार जब कार्य ही बहुत कम होंगे तो प्रगति का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। वर्ष 2009--10 का जिले का लेबर बजट 89.00 करोड़ था। इस प्रकार लेबर बजट की पूर्ति के लिये यह आवश्यक था कि नये कार्य स्वीकृत किये जायें।

इसके लिये हमने जिले में एक अभियान चलाया तथा ग्राम पंचायतों के S.O.P. में सम्मिलित कार्यों में से, जो कार्य उपयोगी थे ओर जिनकी लोगों को ज्यादा आवश्यकता थी, ऐसे सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक दोनों कार्यों का चयन किया गया। चयन उपरांत इन कार्यों के प्राक्कलन बनाये जाकर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी और इन कार्यों की नियमित 02 माह तक लगातार समीक्षा की गयी। परिणामस्वरुप जहां 1 अप्रैल 2009 की स्थिति में केवल 30.93 करोड़ लागत के 3496 कार्य स्वीकृत थे वहीं अभियान समाप्ति पश्चात कार्यों की संख्या 14325 एवं लागत 163.00 करोड़ हो गयी।

2. ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर कैम्पों का आयोजन--

जिले में तैयार किये गये S.O.P. में शामिल कार्यों में से उपयोगी एवं तुरंत आवश्यकता वाले कार्यों का चयन करने, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन करने, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिये चयनित हितग्राहियों के लिये जहां आवश्यक था वहां खसरे व बी1 की नकल उपलब्ध कराने, ग्रामवासियों से चर्चा कर कार्यों का चयन करने, स्थल पर ही प्राक्कलन बनाने एवं प्राक्कलन उपरांत तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने आदि के लिय, चार से पांच ग्राम पंचायतों का समूह बनाया जाकर कैम्पों का आयोजन किया गया। इन कैम्पों में सरपंच, सचिव, पटवारी, उपयंत्री, सहायक यंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

९ जनपद पंचायत पर आयोजित बैठक में प्रतिमाह एक बैठक में कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उपस्थित रहना। –

जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली इन साप्ताहिक बैठकों में से प्रत्येक माह, प्रत्येक जनपद की एक बैठक में, स्वयं मैं तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनिवार्य रुप से उपस्थित रहे और इस बैठक में जनपद पंचायत की प्रत्येक ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों की पंचायतवार समीक्षा की गयी और इस समीक्षा के लिये 04 प्रपत्र निर्धारित किये गयेजिसकी एक प्रति संलग्न है। समीक्षा इतनी प्रभावी व सटीक रुप से की गयी कि जो कमजोर ग्राम पंचायतें थी और जिनमें प्रगति भी नही हो रही थी उन पंचायतों में भी आने वाले समय में प्रगति परिलक्षित हुई। जब पंचायत सचिवों की बैठक सीधे ही कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रतिमाह ली जाने लगी तो ग्राम पंचायतों में प्रगति लाने के लिये प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हुई

इस प्रकार उपरोक्त सभी गतिविधियों का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2008–09 की तुलना में MNREGS में 2009–10 में निम्नानुसार प्रगति हुई–

योजना का नाम	वर्ष 2008–09 की प्रगति	वर्ष 2009–10 की प्रगति	वर्ष 09–10 की प्रगति से वर्ष 08–09 से तुलनात्मक वृद्धि या कमी का प्रतिशत
कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	3496	14325	410%
वर्ष में पूर्ण कार्यों की संख्यां	391	3012	770%
वर्ष में अर्जित मानव दिवस (लाख में)	23.79	31.05	131%
वर्ष में व्यय राशि (करोड़ में)	30.93	45.55	147%

25-6.10

(एस.एन. रुपला)
कलेक्टर
जिला श्योपुर म.प्र.

5. ग्राम पंचायतों को राशि टॉपअप करना –

MNREGS के कार्यों हेतु राशि की मांग ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत में भेजने तथा जनपद पंचायत से जिले में भेजने तथा फिर जिले से ग्राम पंचायतों के खातों में राशि टॉपअप करने में बिलम्ब नही हो, और बिलम्ब के कारण कार्य प्रभावित नही हों। इस दृष्टि से यह व्यवस्था भी की गयी कि जिला मुख्यालय से ही समय–समय पर बैंकों में जाकर पंचायतों के खातों में अवशेष राशि की जानकारी ली जाये एवं जिन ग्राम पंचायतों के खातों में एक लाख रुपये से कम अवशेष राशि रही वहां पर राशि टॉपअप की कार्यवाही की गयी।

6. कमजोर पंचायतों के समूह के लिये विशेष कैम्प –

जिले में कमजोर ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आधार पर ग्रुप बनाकर वहां पर प्रगति लाने के लिये विशेष कैम्पों का आयोजन किया गया तथा इन कैम्पों में जिला पंचायत स्तर से अधिकारियों को भेजकर प्रगति लाने के लिये कार्यवाही की गयी।

7. मजदूर चौपाल का आयोजन –

मजदूरी के इच्छुक ग्रामीणों को नियमित रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामों में ''मजदूर चौपाल'' प्रारंभ की गयी। जिनमें प्रतिदिवस प्रातः 8 से 9 बजे मैट/ ग्रा.पं. सचिव उपस्थित रहकर रोजगार करने वाले मजदूरों को कार्यस्थल पर ले गये।

8. जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत की साप्ताहिक बैठक आयोजन –

MNREGS के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा आने वाली समस्याओं का निराकरण करने एवं आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिये सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक के लिये नियत किया गया। उदाहरण के लिये जनपद विजयपुर में प्रति बुधवार, जनपद श्योपुर में प्रति गुरुवार एवं जनपद कराहल में प्रति शुक्रवार को नियमित रुप से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इन बैठकों में पंचायत सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री, मुख्य काग्रपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं।

कार्यालय जनपद पंचायत .....

एमजीएनआरईजीएस-एमपी अंतर्गत उपयंत्रीवार एवं ग्रामपंचायत वार निर्माण कार्यों, मानव दिवस, व्यय एवं एमआईएस की समीक्षा

माह -

1. उपयंत्री का नाम -

प्रपत्र - 1

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	01.04.10 की स्थिति में अपूर्ण कार्य		01.04.10 से गत माह तक स्वीकृत कार्य		कुल कार्य		कुल कार्यों में से पूर्ण कार्य		प्रगतिरत कार्य		कार्यों पर लगे मजदूरों की संख्या (दैनिक उपस्थिति)	अर्जित मानव दिवस			स्वीकृत कार्यों की कुल लागत (लाख में)	ग्राम पंचायत को प्रदाय राशि (लाख में)	व्यय की स्थिति (लाख में)			एम. आई. एस. फीडिंग हेतु प्राप्त नस्तियां (लाख में)	एम. आई. एस. (लाख में)
		सामुदायिक कार्य (संख्या)	हितग्राही मूलक कार्य (संख्या)	सामुदायिक कार्य (संख्या)	हितग्राही मूलक कार्य (संख्या)	सामुदायिक कार्य (संख्या)	हितग्राही मूलक कार्य (संख्या)	सामुदायिक कार्य (संख्या)	हितग्राही मूलक कार्य (संख्या)	सामुदायिक कार्य (संख्या)	हितग्राही मूलक कार्य (संख्या)		01.04.10 से गत माह के पूर्व तक	गत माह में	योग			01.04.10 से गत माह के पूर्व तक	गत माह में	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	योग																					

2. उपयंत्री का नाम -

	योग																					
	महायोग																					

नोट 1. प्रत्येक पत्रक में अगले पृष्ठ पर जानकारी जाने पर कॉलम की हेडिंग अगले पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से अंकित की जावे।

2. जिला स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रपत्र - 1 (कार्यों का पत्रक) प्रपत्र - 5 (मूल्यांकन का पत्रक) एवं प्रपत्र - 6 (उपयोजनाऐं) में जानकारी तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत .....

कार्यालय जनपद पंचायत .....

एमजीएनआरईजीएस-एमपी अंतर्गत उपयंत्रीवार एवं ग्रामपंचायत वार निर्माण कार्यों के मूल्यांकन की समीक्षा

माह --

1. उपयंत्री का नाम -

प्रपत्र - 2

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	01.04.10 की स्थिति में अपूर्ण एवं कुल स्वीकृत कार्य		01.04.10 से विगत माह के पूर्व तक कुल पूर्ण कार्य						विगत माह में प्रगतिरत कार्य						कुल मूल्यांकन राशि (6+8+10+12+15 +18)
		सामुदायिक कार्य	हितग्राही मूलक कार्य	सामुदायिक कार्य			हितग्राही मूलक कार्य			सामुदायिक कार्य			हितग्राही मूलक कार्य			
		संख्या	संख्या	संख्या	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	संख्या	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	संख्या	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	संख्या	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	योग															

2. उपयंत्री का नाम -

	योग															
	महायोग															

नोट 1. प्रत्येक पत्रक में अगले पृष्ठ पर जानकारी जाने पर कॉलम की हेडिंग अगले पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से अंकित की जावे।

2. जिला स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रपत्र - 1 (कार्यों का पत्रक) प्रपत्र - 5 (मूल्यांकन का पत्रक) एवं प्रपत्र - 6 (उपयोजनाऐं) में जानकारी तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे।

कार्यालय जनपद पंचायत .....

एमजीएनआरईजीएस-एमपी अंतर्गत उपयोजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक कार्यों की समीक्षा

उपयंत्री का नाम -

माह - ..... अंत की स्थिति में

(कार्य संख्या में तथा राशि लाख में)

क्र.	ग्राम पंचायत	कुल स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप	कुल स्वीकृत मेढ	पूर्ण मेढ	कुल स्वीकृत नंदन वन	पूर्ण नंदन वन	कुल स्वीकृत निर्मल वाटिका	पूर्ण निर्मल वाटिका	जलाभिषेक कार्य						
										स्वीकृत कार्य संख्या	लागत	पूर्ण कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	01.04.10 से गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	योग															

उपयंत्री का नाम -

	योग															
	महायोग															

नोट - 1. प्रत्येक पत्रक में अगले पृष्ठ पर जानकारी जाने पर कॉलम की हेडिंग अगले पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से अंकित की जावे।

2. जिला स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रपत्र - 1 (कार्यों का पत्रक) प्रपत्र - 5 (मूल्यांकन का पत्रक) एवं प्रपत्र - 6 (उपयोजनाऐं) में जानकारी तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे।

कार्यालय जनपद पंचायत .....
सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की प्रगति

माह - ..... अंत की स्थिति में

(कार्य संख्या में तथा राशि लाख में)

क्र.	ग्राम पंचायत	राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरण			जन श्री बीमा योजना के प्रकरण			मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के प्रकरण					आम आदमी बीमा योजना के प्रकरण			कर्मकार मण्डल योजना					
		गत माह के पूर्व तक	गत माह में	योग	गत माह के पूर्व तक	गत माह में	योग	कुल पंजीयन	प्रसूती सहायता के प्रकरण	छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्रवृत्ति के प्रकरण	उपचार के प्रकरण	अंतिम संस्कार के प्रकरण	सामान्य मृत्यु	दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण अपंगता	आंशिक अपंगता	कुल पंजीयन	प्रसूति सहायता के प्रकरण	छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्रवृत्ति के प्रकरण	मृत्यु की दशा में सहायता	उपचार के प्रकरण	अंतिम संस्कार के प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22